

# नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक

/स्था.।/2025

दिनांक

/05/2025

## आदेश

चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप अस्थाई रूप से संविदा आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की समयावधि के लिए पशुचिकित्सा पत्रोपाधि महाविद्यालय हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) के पद पर नियत मानदेय M.V.Sc. हेतु प्रतिमाह रु. 52,000/- (Fixed) एवं M.V.Sc. एवं NET/Ph.D हेतु प्रतिमाह रु. 56,000/- (Fixed) पर निम्नानुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाये गए पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय (नियोजन स्थल) में नियोजित किया जाता है -

| स. क्र. | नाम                      | श्रेणी          | पदांकित स्थान                         |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1       | डॉ. अखिलेश कुमार करोरिया | अनुसूचित जाति   | पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, महु    |
| 2       | डॉ. राहुल जामरा          | अनुसूचित जनजाति | पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, महु    |
| 3       | डॉ. रश्मि विश्वकर्मा     | अनारक्षित       | पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर |
| 4       | डॉ. शुभम अवचरे           | अनुसूचित जाति   | पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, भोपाल  |
| 5       | डॉ. अमित कुमार           | अनुसूचित जाति   | पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, भोपाल  |

### शर्तें:-

- संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संविदा नियोजन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
- इस संविदा का पर्यावसान उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय में लिखित रूप से कम से कम 1 माह की सूचना देकर किया जा सकेगा।
- इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवाएँ समाप्त कर दें।
- नियोजित अभ्यर्थी को नियोजन आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ स्वयं के व्यय पर 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रारूप पर करार निष्पादित करना होगा।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि प्रथमतः 01 वर्ष की होगी। तत्पश्चात् कार्य बहुत अच्छा (Very Good) होने पर नियोजन अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
- संविदा नियोजन की दशा में सहायक प्राध्यापक (संविदा) दी गई नियुक्ति के आधार पर उनके भविष्य में नियमितिकरण की माँग, किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
- अभ्यर्थी को भारतीय लोकतंत्र के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्ण आचरण का निर्वहन करना होगा।
- अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदाय करना होगा। अन्यथा मानदेय आहरित नहीं किया जावेगा।
- उक्त चयन प्रक्रिया में इस विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।
- संविदा नियोजित सेवकों को 1 वर्ष में 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- किसी भी प्राकर के वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

541-

कुलसचिव

क्रमशः.....2

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. संचालक, पशुपालन पत्रोपाधि, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
6. प्रभारी प्राचार्य, पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, जबलपुर/महू/मुरेना/भोपाल/रीवा।
7. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर  
(आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें)।
8. सर्व संबंधित डॉ. ....
9. सुरक्षा नस्ती।

  
कुलसचिव

## FORM OF AGREEMENT

This agreement is made on ..... Day of ..... between  
(Name of employee)..... son/daughter of  
..... aged.....  
resident of .....  
(hereinafter referred to as employee) as the second party.

Where the employer vide order no. .... dated .....  
is being engaged Shri/Smt./Ku .....  
on contract as (Name of the post) .....  
Place ..... District ..... and the said  
..... has agreed for the contract  
appointment on the said post under N.D.V.S.U., Jabalpur under contract  
service (Appointment of service) rules 2016.

Now, it is agreed between the parties as follows :-

- (a) Both the parties shall be bound by contract Rules and any breach of any provision said rules by the employees shall be deemed to be misconduct.
- (b) The employed shall be deemed to be contract services from the joining ..... At the place of posting and the monthly contract amount shall be paid from ..... that date.
- (c) In case of any dispute regarding this contract. The jurisdiction shall be the court situated at Jabalpur only.
- (d) It shall be compulsory for the contract employee to actively perform the work assigned to him in Vishwa Vidyalaya interest.
- (e) In case of any misconduct of indulgent in any criminal activity. The employer shall have the right to terminate the service of such contract employee after giving reasonable opportunity of being heard.

In witness whereof the parties here to signed this agreement on the date and the year respectively mentioned herein above :-

### **Witness**

Signature .....  
Name .....  
Address .....  
.....

### **Parties**

Signature .....  
Name .....  
Address .....  
.....

Signature .....  
Name .....  
Address .....  
.....

Signature .....  
Name .....  
Address .....  
.....

**Registrar**  
**NDVSU, Jabalpur**